न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 29/2017 जिला अलवर

1. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री लाभसिंह, जाति रायसिख, निवासी खरैटा, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1. भजन सिंह
2. शिंगार सिंह पुत्रान रतन सिंह
3. सतनाम सिंह
4. राजेन्द्र सिंह पुत्रान बलवंत सिंह
5. जगीन्दर बाई
6. चन्नो बाई पुत्रियान बलवंत सिंह
7. बन्तो देवी बेवा बलवंत सिंह , जाति रायसिख, निवासी खरैटा, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर (राजस्थान)

असल रेस्पोंडेन्टान

8. बच्चन सिंह
9. जगीर सिंह पुत्रान लाभसिंह, जाति रायसिख, निवासी खरैटा, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर (राजस्थान)

तरतीबी रेस्पोंडेन्टान

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी मुण्डावर, जिला अलवर

दिनांक 11.6.2015

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री विजय सिंह राठौड
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री प्रशान्त शर्मा

निर्णय

दिनांक– 8.4.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी मुण्डावर, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 11.6.2015 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 21.8.2017 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि भजन सिंह पुत्र रतन सिंह रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा उप खण्ड अधिकारी मुण्डावर, जिला अलवर को एक प्रार्थना पत्र बाबत नाम परिवर्तन के कम में प्रस्तुत किया कि उसके दादाजी का वास्तविक नाम रामसिंह है, जो समस्त दस्तावेजात में दर्ज है, किन्तु राजस्व ग्राम खरेटा की भूमि खसरा नम्बर 664/0.21,

Scanned by CamScanner

667/0.73,1006/454/0.01,1039/650/0.01,1040/654/0.03,1943/663/0.01 कुल किता 6 में उसके दादाजी का नाम लाभसिंह सहवन से दर्ज हो गया । रामसिंह एवं लाभसिंह उसके ही दादाजी के दो नाम है, दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है । अलग अलग पाये जाने पर उसकी समस्त जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी । उक्त राजस्व रिकार्ड में उसके दादाजी का नाम दुरूस्त कर दर्ज करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया ।

रेस्पोंडेन्ट भजन सिंह के उक्त प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक ने रिपोर्ट की कि "प्रार्थी रतन सिंह पुत्र लाभसिंह को रतन सिंह पुत्र रामसिंह किया जाना उचित है" । पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट से पूर्ण संतुष्ट होने के कारण मुताबिक प्रार्थना पत्र राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की अभिशंषा तहसीलदार मुण्डावर, जिला अलवर द्वारा की गई ।

उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर) ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.6.2015 तहसीलदार/नायब तहसीलदार की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्रम खरैटा तहसील मुण्डावर व जिला अलवर की जमाबन्दी सम्वत 2067–70 में खाता संख्या 419 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये गये –

क्र.सं.	ग्रम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	खरैटा	419	रतन सिंह पुत्र लाभ सिंह	रतन सिंह पुत्र रामसिंह

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उप खण्ड अधिकारी मुण्डावर के उक्त निर्णय दिनांक 11.6.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट महेन्द्र सिंह पुत्र लाभसिंह द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी मुण्डावर कैम्प खरैटा , तहसील मुण्डावर , जिला अलवर दिनांक 11.6.2015 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट लाभसिंह का पुत्र है ओर अधीनस्थ न्यायालय ने ग्रम खरैटा के खाता संख्या 419 की जमाबन्दी में उसके पिता का नाम लाभसिंह की बजाय रतन सिंह करने के आदेश पारित किये हैं । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व

Scanned by CamScanner

अपीलान्ट को सुनवाई हेतु कोई नोटिस नहीं दिया । असल रेस्पोंडेन्टान द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय उप खण्ड अधिकारी मुण्डावर के समक्ष 2013 में पेश किया था जिसमें अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोंडेन्ट को भी पक्षकार बनाया गया था । उक्त दावे में अपीलान्ट द्वारा व तरतीबी रेस्पोंडेन्ट द्वारा अपना जवाब दावा भी प्रस्तुत कर दिया था । उक्त दावा दिनांक 26.7.2016 को असल रेस्पोंडेन्ट के उपस्थित नहीं होने के कारण अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो गया था । उक्त तथ्यों को छिपाते हुये रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत लाभसिंह के नाम को दुरूस्त कराने का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी ओर पटवारी हल्का के बताने पर जानकारी हुई और नकल प्राप्त कर अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है । अतः न्यायाहित में विलम्ब को क्षमा किया जावे । उनका कहना था कि पक्षकारों के मध्य विचाराधीन वाद की जानकारी तहसीलदार मुण्डावर को भी थी क्योंकि उन्हें रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 बनाया हुआ था , लेकिन तहसीलदार ने प्रकरण में बिना जॉच किये एवं अधीनस्थ न्यायालय को दुरूस्ती करने की अभिशंषा की है। उनका कहना था कि धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत केवल राजस्व अभिलेख में हुई लिपिकीय त्रुटियों को ही दुरूस्त किया जा सकता है । रेस्पोंडेन्ट के पिता रतन पुत्र रामसिंह को दिनांक 12.6.1979 को पट्टा आराजी मिला था उसमें रतन सिंह पुत्र रामसिंह दर्ज किया हुआ है तथा इसके पश्चात् जो भी राजस्व रिकार्ड तैयार हुआ उसमें रतन सिंह पुत्र रामसिंह ही दर्ज है । उनका कहना था कि जो पट्टा दिया गया था उसमें गत खसरा नम्बर 712 व 764 हाल खसरा नम्बर 664 रकबा 21 एयर व 667 रकबा 73 एयर वाके ग्रम खरैटा नहीं है , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना राजस्व रिकार्ड देखे ही अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटी की है । उनका कहना था कि जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 में अंकित आराजी असल रेस्पोंडेन्ट की नहीं है बल्कि आरजी अपीलान्ट के पिता लाभसिंह पुत्र रतन सिंह की है जिसमें खसरा नम्बर 664 व 667 का उल्लेख किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में यह अंकित नहीं किया कि कौनसे राजस्व रिकार्ड में रतन सिंह पुत्र लाभ सिंह दर्ज है और कौनसे रिकार्ड में रतन सिंह पुत्र रामसिंह दर्ज है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोंडेन्टस के योग्य अधिवक्ता ने बहस में अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि राजस्व ग्रम खरेटा की भूमि खसरा नम्बर 664/0.21, 667/0.73,1006/454/0.01,1039/650/0.01,1040/654/0.03,1943/663/0.01 कुल किता 6 में अपीलान्ट्स के दादाजी का नाम लाभसिंह सहवन से दर्ज हो गया था जबकि उनके दादाजी के दो नाम लाभसिंह एवं रामसिंह थे । अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र पर पटवारी, गिरदावर की रिपोर्ट लेकर तहसीलदार की अभिशंषा के

Scanned by CamScanner

आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी मुण्डावर ने अपीलाधीन आदेश पारित कर रतन सिंह पुत्र लाभ सिंह के स्थान पर रतन सिंह पुत्र रामसिंह संशोधित किया गया है । उनका कहना था कि धारा 136 एल.आर.एक्ट में सहवन से हुई त्रुटि को दुरूस्त करने का अधिकार भू अभिलेख अधिकारी को है । राजस्व अभिलेख में रेस्पोंडेन्ट के दादा का नाम लाभसिंह सहवन से दर्ज होने से बाद जॉच, तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर लाभसिंह के स्थान पर रामसिंह अंकित किये जाने के आदेश दिये हैं , जो उचित एवं विधिसम्यक है । रेस्पोंडेंन्ट के दादा जी का नाम लाभसिंह के स्थान पर रामसिंह दुरूस्त किये जाने से अपीलान्ट के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी मुण्डावर, जिला अलवर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.6.2015 से रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र पर रेस्पोंडेन्ट के दादा का नाम लाभसिंह के स्थान पर रामसिंह दुरूस्त किया गया है । अपीलान्ट के अधिवक्ता का मुख्य कथन है कि रेस्पोंडेन्ट के पिता रतन पुत्र रामसिंह को दिनांक 12.6.1979 को पट्टा आराजी मिला था उसमें रतन सिंह पुत्र रामसिंह दर्ज किया हुआ है तथा इसके पश्चात् जो भी राजस्व रिकार्ड तैयार हुआ उसमें रतन सिंह पुत्र रामसिंह ही दर्ज है । उनका कहना था कि जो पट्टा दिया गया था उसमें गत खसरा नम्बर 712 व 764 हाल खसरा नम्बर 664 रकबा 21 एयर व 667 रकबा 73 एयर वाके ग्रम खरैदा नहीं है , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना राजस्व रिकार्ड देखे ही अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटी की है ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं प्रकरण के गुणावगुण पर ठोस होने से विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलम्ब को क्षमा किया जाता है । प्रकरण में रेस्पोंडेन्ट भजन सिंह वगैहरा द्वारा उप खण्ड अधिकारी मुण्डावर, जिला अलवर के समक्ष एक दावा उनवानी भजन सिंह बनाम महेन्द्र सिंह वगैहरा बाबत इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हुक्म ईमतनाई दवामी प्रस्तुत किया था जो अदम हाजरी व अदम पैरवी में दिनांक 26.7.2016 को खारिज हुआ है । इसके पश्चात् अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये अधीनस्थ न्यायालय मे रतन सिंह पुत्र लाभसिंह को रतन सिंह पुत्र रामसिंह दुरूस्त किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स एवं प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का नोटिस व अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर रतन सिंह पुत्र लाभ सिंह के स्थान पर रतन सिंह पुत्र रामसिंह दुरूस्त करने के आदेश दिये हैं । पक्षकारान के मध्य प्रस्तुत दावे में अपीलान्ट पक्षकार था जिसे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी पक्षकार बनाकर सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने

Scanned by CamScanner

का समुचित अवसर प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में न्यायिक रूप से आवश्यक था, लेकिन प्रभावित व हितबद्ध व्यक्ति को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में निरस्तनीय है एवं प्रकरण उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी मुण्डावर, जिला अलवर दिनांक 11.6.2015 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उन्हें उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner